



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान उर्फ सलमान पुत्र चौधरी मलवा निवासी पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ0नि0यू0टी0 श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0386/2024 धारा 147/148/  
149/504/341/452/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर श्री सत्यपाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-राहुल, 2-अरुण पुत्रगण सूरज, 3-सूरज, 4-



महेन्द्र पुत्रगण फते, 6-मनीष, 8-नवल पुत्रगण महेन्द्र, 9-दीपक पुत्र रामकला 10-निखिल पुत्र रामकुमार व 03 महिला समस्त निवासीगण ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए उसके व उसके परिजनों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके व उसके परिजनों को गम्भीर चोटें आयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0386/2024 धारा 147/148/504/341/452/307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 149 भादवि की बढ़ौत्तरी की गई।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0386/2024 धारा 147/148/149/504/341/452/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र सूरज निवासी ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 556 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17-05-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0429/2024 धारा 279/338/304ए भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रॉकी पुत्र महावीर निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि ट्रक नं0 RJ-52GA-8317 के चालक नाम नरेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना



कोर्टपुतली जयपुर राजस्थान द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए ग्रीन रेस्टोरेन्ट के सामने दिल्ली-सहारनपुर रोड पर उसके भाई राजा के वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पत्नी व बेटी तथा भांजी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा राजा, शालू व विराज गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 0429/23 धारा 279/338/304ए भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0429/23 धारा 279/338/304ए भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना कोर्टपुतली जयपुर राजस्थान ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 1039 हरेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 999 प्रशान्त कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत

दिनांक -17.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 346/24 धारा 147/148/323/307/504/506  
भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री सचिन पुत्र स्व0 मेहर सिंह निवासी पट्टी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-अल्ताफ, 2-सुहेल, 3-शादाब पुत्रगण अब्बास



निवासीगण नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व 5-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डों से उसके भाई मोहित व उसके परिचितों के ऊपर जान से मारने की नीयत से वार किया गया व गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 346/24 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 346/24 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अल्ताफ पुत्र अब्बास निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-सुहेल पुत्र अब्बास निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-शादाब पुत्र अब्बास निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विजयप्रताप सिंह चौहान थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा थाना बडौत ।
- 3-उ0नि0 मौ0 आसिफ खान थाना बडौत ।
- 4-का0 814 अमित नागर थाना बडौत ।